हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत आम निर्वाचन 2021–22

निर्वाचन प्रशिक्षण

दिनांक 17.12.2021

नामनिर्देशन

- एकीकृत नामनिर्देशन पत्र – पंच, सरपंच, जनपद/जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन पत्र (प्ररूप–4).
- नामनिर्देशन पत्र के साथ :–
    - o जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद हेतु – शपथ पत्र
    - o पंच पद हेतु – घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
- घोषणा पत्र/शपथ पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जाना अनिवार्य है यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है तो उस कॉलम में निरंक शब्द अंकित कराया जायेगा.

नामनिर्देशन

- शपथ पत्र के साथ "शपथ पत्र का सार" नामक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
- समस्त कोषालय एवं उप कोषालयों में पर्याप्त मात्रा में शपथ पत्र हेतु उपयोग में आने वाले स्टॉम्प पेपर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें.
- इसके अतिरिक्त नामनिर्देशन पत्र के साथ :–
  - आरक्षित वर्ग के संबंध में जाति प्रमाणपत्र.
  - पंचायत का अदेय प्रमाणपत्र.
  - विद्युत देयकों के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.

नामनिर्देशन पत्रों में अभ्यर्थी का प्रस्तावक

- मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–32 अनुसार प्रस्तावक –
  - पंच के मामले में – उस वार्ड का मतदाता.
  - सरपंच के मामले में –संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता
  - जनपद पंचा सदस्य – विकासखण्ड के भीतर के किसी ग्राम का मतदाता
  - जिला पंचायत सदस्य – जिले के भीतर के किसी ग्राम का मतदाता
- स्पष्ट है कि पंच के अतिरिक्त अन्य किसी पद हेतु वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की सीमा नहीं है.

नामनिर्देशन पत्रों की संख्या

- मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–32(2) अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी एक पद पर निर्वाचन के लिए दो से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है.
- कोई व्यक्ति किसी पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा.
- कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों जैसे पंच के साथ सरपंच या सरपंच के साथ जनपद पंचायत सदस्य या जनपद पंचायत सदस्य के साथ जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है.

नामनिर्देशन पत्र

(विधिक प्रावधान)

- नामनिर्देशन पत्र सम्बंधी विधिक प्रावधान –
  - मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–31 से लेकर नियम–40.
  - रिटर्निंग ऑफिसर की हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 से लेकर अध्याय–13 तक में उल्लेखित है.
- नामनिर्देशन पत्रों की अंतिम तारीख़ को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समेकित विवरण तैयार किया जाता है.
- प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्रों के समेकित विवरण की एक प्रति आयोग को प्रेषित की जाना अनिवार्य है.

आरक्षित वर्ग के संबंध में

- मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियमः 40–क(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि :–

  आरक्षित वर्ग के मामले में यदि सम्बंधित अभ्यर्थी उस वर्ग का सदस्य होने के बावत्, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, एक शपथ पत्र दाख़िल कर देता है तो रिटर्निंग ऑफिसर मामले में आगे जाँच नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को वैध मान लेगा.

- इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर 2014 महत्वूपर्ण है. यह निर्देशों के संकलन भाग–2 के पृष्ठ क्रमांक–59, 60 पर मुद्रित है.

अदेय प्रमाणपत्रों के संबंध में

- **पंचायत का अदेय प्रमाणपत्र** – मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–36(1) अनुसार :–

  पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को पंचायत को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

- अदेय प्रमाणपत्र :–
  - ग्राम पंचायत – सचिव द्वारा,
  - जनपद पंचायत सदस्य – CEO जनपद पंचायत द्वारा,
  - जिला पंचायत – CEO जिला पंचायत द्वारा.

अदेय प्रमाणपत्रों के संबंध में

- जिस पंचायत के लिए नामनिर्देशन पत्र भरा जा रहा है तो उसी पंचायत क्षेत्र (ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत क्षेत्र) का अदेय प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा.
- पूर्व में किसी अन्य पंचायत क्षेत्र का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो उसे उसका भी अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- **विद्युत देयकों संबंधी अदेय प्रमाणपत्र** – मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–36(1) में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय राशियों की बकाया के संबंध में निरर्हता संबंधी प्रावधान है.

अदेय प्रमाणपत्रों के संबंध में

- उक्त निर्हरता के संबंध में :–

  पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नामनिर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय समस्त शोध्यों का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

- अदेय प्रमाणपत्र जिस माह में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके छः माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- उचित होगा कि विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारी को रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय/कलस्टर पर तैनात किया जाये.

नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा

- नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा एक अर्द्ध न्यायिक (Semi-Judichial) स्वरूप का कार्य है.
- नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर को स्वयं करना चाहिए.
- संवीक्षा के दौरान घोषणा पत्र/शपथ पत्र में दी गई किसी जानकारी की जाँच नहीं की जायेगी और उस आधार पर नामनिर्देशन पत्र निरस्त नहीं होगा.
- नामनिर्देशन पत्र को केवल किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बंधी भूल के आधार पर नामंजूर नहीं किया जायेगा.

नामनिर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण

- संवीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र नामंजूर हो जाने के परिणामस्वरूप यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है, तो नियम–36 के अनुसार पुनरीक्षण किया जाना होगा.
- विभिन्न पदों हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी –
  - o पंच या सरपंच – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
  - o जनपद पंचायत सदस्य – कलेक्टर
  - o जिला पंचायत सदस्य – संभागायुक्त
- पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसे मामले में अभ्यर्थिता वापसी हेतु नियत अंतिम तारीख़ के 02:00 बजे अपराह्न तक निराकरण करेंगे.

निरर्हता सम्बंधी प्रावधान

- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के धारा–36(1) में निरर्हता सम्बंधी निम्न प्रावधान है :–

  कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात् –

  - सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन या स्वापक पदार्थों के उपयोग, उपभोग या विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा

निरर्हता सम्बंधी प्रावधान

- राज्य के किसी भी भाग में प्रवृत्त तत्समान किसी विधि के अधीन या किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक की उसकी दोषसिद्धि के समय से पाँच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, व्यतीत न हो चुकी हो.
- किसी अन्य अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कम से कम छः मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है.
- जिसने पंचायत या सरकार की भूमि या भवन पर अधिक्रमण किया हो.

निरर्हता सम्बंधी प्रावधान

- जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जल वाहित शौचालय नहीं हो.
- जो किसी पंचायत के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी सहकारी सोसाईटी की या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की सेवा में है.
- किसी व्यक्ति को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त किये जाने के कारण इस खण्ड के अधीन निर्हरित नहीं समझा जायेगा.

प्रतीक आवंटन

- नाम वापसी के तत्काल पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी.
- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णक्रम निर्धारण उनके नाम के अंग्रेज़ी वर्णमाला (Alphabet) के आधार पर किया जायेगा.
- विभिन्न पदों हेतु प्रतीकों का आवंटन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतीकों की सूची अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाये.
- मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में मुद्रित किये जायेंगे.

प्रतीक चिन्ह

- आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021–22 के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य एवं अतिरिक्त प्रतीक चिन्ह आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किये गये है. उक्त प्रतीक चिन्हों की सी.डी. जिला स्तर पर तैयार कराई जाना है.
- यह सी.डी. प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में उपलब्ध कराई जाये जिसमें मुद्रित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप–8(क), (ख), (ग) एवं (घ) में तैयार किया जाये.

मतदान केन्द्र पर अंकित की जाने वाली विशिष्टियाँ

- मतदान दिवस के पर्याप्त समय पूर्व मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित विशिष्टियों का अंकन स्याही/नील/पेन्ट से किया जाना चाहिए :–

त्रिस्तीय पंचायत आम निर्वाचन 2021–22

जनपद पंचायत .... जिला ....

// मतदान केन्द्र का विवरण //

- जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक .... जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक ....
- ग्राम पंचायत का नाम ....
- मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम ....
- मतदान केन्द्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम ....
- मतदान केन्द्र के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक ....
- मतदान केन्द्र के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या –
  पुरूष .... महिला .... अन्य .... कुल मतदाता ....
- मतदान की तारीख़ एवं दिवस ....
- मतदान का समय – प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक

मतदान दलों को दी जाने वाली मतदाता सूची

- आयोग के निर्देश क्रमांक 426 दिनांक 11.11.2021 द्वारा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की 08 प्रतियाँ जिलों को उपलब्ध कराई गई है, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान दलों को मतदाता सूची की 02 प्रतियाँ उपलब्ध कराई जायें.
- पंचायत निर्वाचन में पोस्टल बैलेट तथा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र (EDC) के प्रावधान नहीं है अतः निर्वाचन पूर्व मतदाताओं के लाल स्याही से चिन्हांकन की स्थिति निर्मित नहीं होती है.
- मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (Working Copy) वह होगी, जिसका उपयोग मतदान अधिकारी क्रमांक–1 द्वारा मतदान के दौरान किया जायेगा.

अन्य विषय

- मतदाता सूची की सॉफ्टकॉपी सी.डी. में भी तैयार की जायेगी जो आवेदक को रूपये 100/– प्रति सी.डी. का भुगतान करने पर प्रदाय की जायेगी.
- मतदाता सूची की रूपये 2/– प्रति पृष्ठ के मान से शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी आवेदक को प्रदाय की जा सकेगी.
- पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपेटी से कराये जाने पर मतपत्र लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम (प्ररूप–15) रखने के लिए लिफाफा क्रमांक–5 का उपयोग किया जायेगा.

अन्य विषय

- पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपेटी से होने के कारण लिफाफा क्रमांक–6, 7, 8, 9, 10 एवं द्वितीय पैकेट का उपयोग किया जायेगा.
- सरपंच पद की मतगणना का परिणाम प्ररूप–17 भाग–1 एवं 2 में अभिलिखित किया जायेगा.
- जिस पंचायत वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं उनके पंच पदों की गणना का परिणाम मतदान केन्द्रवार प्ररूप–16 भाग–1 में तैयार करने के उपरांत उसका सारणीकरण भाग–2 में दर्ज किये जाने का प्रावधान किया गया है.

अन्य विषय

- मतदान पूर्व मतदाताओं को प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से मतदाता पर्ची का शत् प्रतिशत वितरण किया जाना है.
- मतदान केन्द्र के भीतर मतदान अधिकारी क्रमांक–2 द्वारा दी जाने वाली मतदाता पर्ची की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.

धन्यवाद